न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क.— 219/17</u> संस्थित दिनांक— 07.07.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

अभियोजन

विरुद्ध

मोती पुत्र रामा बंजारा उम्र 24 साल निवासी ग्राम घमरासा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 20.07.2017 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा—452, 294, 323, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उसने दिनांक 26.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:10 बजे ग्राम घमरासा में लोक स्थान फरियादी उदा को मां बहन की अश्लील गालिया उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी उदा के निवासिया मकान में फरियादी को उपहित कारित करने अथवा हमला करने या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी के साथ गृहअतिचार कर उदा को पत्थर से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.04.2017 को शाम 09 बजे फरियादी उदा के घर पर अभियुक्त मोती आया और बोला कि चाचा पार्टी करते हैं, मोती शराब पीये हुये था, फरियादी ने उससे शराब पीने से मना किया, तो उक्त बात पर मोती घर में अंदर घुस आया और बोला मादर चोद तुझे देखता हूं और पत्थर उठाया। फरियादी को मारा जो उसके सिर में बायी तरफ चोट लगकर खून निकल आया दूसरा पत्थर मारा। जिससे उदा के दाये गाल में चोट लगी। उदा के पिता जगकर आये व पडोस में रहने वाला जैता उसे बचाने आया व घटना देखी। मोती बोला आज तो तू बच गया आइन्दा तुझे जान से खत्म कर दूंगा। उदा द्वारा पुलिस

चौकी विक्रमपुर में अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। जो 08/17 अंतर्गत धारा 452, 323, 294, 506बी भादिव के तहत् लेखबद्ध की गयी। उक्त रिपोर्ट की असल कायमी पुलिस थाना चंदेरी में की गयी जिसके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—184/17 अंतर्गत धारा— 452, 294, 323, 506बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—20.07.2017 को फरियादी उदा के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा—294, 323, 506बी के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—452 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत् अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ़ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 26.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:10 बजे स्थान फरियादी उदा के निवासिया मकान में फरियादी को उपहित कारित करने अथवा हमला करने या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी कर गृहअतिचार किया ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

–ः:सकारण निष्कर्षः:–

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष-:

06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य को देखते हुये फिरयादी उदा (अ0सा0—1) सिहत घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी के रूप में फिरयादी के पिता परसा (अ0सा0—2) व जैता (अ0सा0—3) के कथन न्यायालय में कराये गये। फिरयादी उदा असा 1 का अपने न्यायालीन कथनो में कहना है कि अप्रैल माह में इसी वर्ष कि घटना हैं, वह रात्रि में आठ साढे आठ बजे घर पर खाना खा रहा था, तो उसे घर के बाहर किसी के गालिया देने की आवाज सुनायी दी, जब उसने बाहर जाकर देखा तो अभियुक्त शराब के नशे में गालियां दे रहा था, जिसे मना करने पर अभियुक्त ने उसके साथ झुमाझटकी कर

दीं जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चोकी विक्रमपुर में की थी।

- 07— फरियादी उदा (अ0सा0—1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन का एक बात पर समर्थन तो किया है कि घटना अप्रैल माह की होकर रात्रि के समय की है। उसे समय अभियुक्त फरियादी के घर पर शराब पीकर आया था और गाली गलौच की थी परन्तु यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त फरियादी के घर के अंदर घुस आया था और उसने फरियादी के साथ कोई मारपीट की थी, इस संबंध में फरियादी ने अभियोजन के समर्थन में अपने मुख्यपरीक्षण में कोई कथन नहीं दिये। अतः फरियादी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों के अनुसार जो विवाद हुआ वह घर के बाहर हुआ था।
- 08— घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी परसा (अ०सा0—2) व जैता (अ०सा0—3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया। परस (अ०सा0—2) जो कि फरियादी का पिता है, घटना के समय घर पर सोना बताता है तथा घटना के दूसरे दिन अपने पुत्र के बताने पर अभियुक्त से उसके विवाद की जानकारी होना बताता है। परसा (अ०सा0—2) इस पर भी यह कहता है कि उसके लड़के ने उसे यह नहीं बताया था कि अभियुक्त ने घर में घुस कर उसके साथ कोई मारपीट की है। यह साक्षी जिसने अभियोजन के अनुसार घटना में बीच बचाव किया था, इस बात खण्डन करता है कि उसने घटना में कोई बीच बचाव नहीं किया और न ही घटना उसके सामने हुयी।
- 09— जैसा (अ0सा0—3) जो कि अभियोजन के अनुसार घटना के समय मौकें पर था, और उसने भी घटना में फरियादी का बीच बचाव किया था, अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करता है। इस साक्षी का यह कहना है कि उसके सामने अभियुक्त और फरियादी का कोई विवाद हुआ और न ही उसके सामने अभियुक्त ने फरियादी के घर में घुस कर उसके साथ कोई मारपीट की। यह साक्षी घटना के संबंध में पुलिस को भी कोई कथन न देना बताता है।
- 10— अतः फरियादी उदा जहां अपने न्यायालीन कथनों अभियोजन घटना के विरुद्ध पूरा विवाद घर के बाहर होना बताता है तथा इस बात का खण्डन करता है कि अभियुक्त ने घटना में पत्थर से उसके साथ मारपीट कर उपहित कारित की। वही घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी भी परसा (अ0सा0—2) व जैता (अ0सा0—3) अपने सामने कोई घटना ही न होना बताते है तथा घटना की जानकारी होने से ही इन्कार करते हैं। अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में फरियादी सिहत साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण उन्हें पक्षविरोधी कर विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी सिहत किसी भी साक्षी ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नही किया कि अभियुक्त ने उपहित कारित करने की तैयारी के साथ फरियादी के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित कारित की।
- 11— अतः अभियोजन के समर्थन में आरोपित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नही है, जिससे साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह साबित करने में सफल नही होता है कि अभियुक्त ने दिनांक 26.04.2017 को समय 21:00 बजे से 21:10 बजे स्थान फरियादी उदा के निवासिया मकान में फरियादी को उपहित कारित करने अथवा हमला करने या सदोष अवरोध कारित करने की तैयारी कर गृहअतिचार किया था।

- 13— फलस्वरूप <u>अभियुक्त मोती पुत्र रामा बंजारा</u> के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—452 के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर <u>अभियुक्त मोती पुत्र रामा बंजारा</u> को भा०दं०वि० की धारा—452 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 14— <u>अभियुक्त मोती पुत्र रामा बंजारा</u> के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। अभियुक्त का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)